

2025 / 197



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या- 84/2025

निर्णय दिनांक-18-11-2025

पटवारी हल्का रघुनाथपुरा द्वारा प्रस्तुत खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं भू.अ.नि. थल की रिपोर्ट व तहसीलदार रूपनगढ़ की अनुशंषा सहित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 के अन्तर्गत इन्द्राज शुद्धि हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ। तदनुसार निम्न तालिका में वर्णित शुद्ध प्रविष्टि को राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र. सं. | संबंधित ग्राम | खाता संख्या | ख0न0            | वर्तमान अशुद्ध प्रविष्टि  | निर्णय उपरान्त शुद्ध प्रविष्टि                                     |
|----------|---------------|-------------|-----------------|---|--|
| 1        | रघुनाथपुरा    | 60          | 240<br>75<br>77 | भंवरी पत्नि<br>श्योजी हि0<br>1/8 जाति<br>जाट सा0 देह<br>खातेदार | भंवरी पत्नि<br>श्योजीराम हि0<br>1/8 जाति<br>जाट सा0 देह<br>खातेदार |

क्रमांक-

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. रक्षित पत्रावली



उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)  
दिनांक- रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

